न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—104 / 2014 / 225 आर.टी.एक्ट (2014 / 00041)

1. लादू पुत्र स्व0 श्री पन्ना
2. भैरू पुत्र स्व0 श्री पन्ना
3. जीवन पुत्र स्व0 श्री पन्ना
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बड़ा आसन, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाग

1. मांगीलाल पुत्र स्व0 श्री बीरमा
2. घासी पुत्र श्री स्व0 श्री बीरमा
3. हेमराज पुत्र स्व0 श्री बीरमा
4. भंवर पुत्र स्व0 श्री मेवाराम
5. प्रभु पुत्र स्व0 श्री मेवाराम
6. सांवरा पुत्र स्व0 श्री हरदेव
7. पांचू पुत्र स्व0 श्री राम
8. धर्मा पुत्र स्व0 श्री राम
9. नारायण पुत्र स्व0 श्री राम
10. भारमल पुत्र स्व0 श्री राम
    समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बडा आसन तहसील मसूदा जिला अजमेर।
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मसूदा।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.1.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा, राजस्व वाद संख्या 44 / 2013

उपस्थितः—

1. श्री एस.पी औझा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ज्ञानचंद गादिया, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 11
4. रेस्पोडेंट संख्या 10 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—12.10.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 44 / 2013 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 29.1.2014 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट्स ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी मसूदा के न्यायालय में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के विरूद्ध विवादित आराजी खसरा नम्बर 463 रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा बड़ा आसन तहसील मसूदा में स्थित है के बाबत वाद प्रस्तुत किया तथा साथ ही धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अपने आदेश दिनांक 3.5.2011 के द्वारा प्रार्थीगण के खातेदारी/कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन बेदखल नहीं करने एवं काश्त नहीं करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी, तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए तथा अप्रार्थीगण ने दिनांक 15.06.2011 को जवाब प्रस्तुत किया तथा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 एवं 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया, जिस पर सुनवाई कर दिनांक 14.07.2011 को वाद संख्या 46/2011 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 40/2011 लादू बनाम मांगीलाल को दूसरे प्रकरण संख्या 5/2005 मांगीलाल बनाम भैरू के साथ समाकित करने के आदेश जारी किए, अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिस पर सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए एक माह में निर्णय पारित करने हेतु आदेश प्रदान कर दिए तथा उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 15.07.2011 को सुनवाई कर दोनों प्रकरण में भूमि एक ही होना मानते हुए विचाराधीन प्रकरण में पक्षकारान के हित प्रभावित हो सकते हैं इसलिए न्यायहित में प्रार्थना पत्र संख्या 40/2011 में पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को कायम रखने का आदेश जारी किया। अप्रार्थीगण ने आदेश दिनांक 15.07.2011 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसे न्यायालय ने दिनांक 29.07.2011 को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर में निगरानी याचिका प्रस्तुत की जिसमें मान्नीय मण्डल ने विवादित आराजी के रेकार्ड व मौके की यथास्थिति रखने के आदेश पारित किये तथा निगरानी मान्नीय मण्डल में विचाराधीन है। मान्नीय राजस्व मण्डल के आदेश की अवहेलना कर कब्जा करने पर आमादा है तथा मौके पर खून–खराबा व शांति भंग होने की स्थिति है तथा पूर्व में भी प्रार्थीगण की आराजी को नष्ट किया गया है और अब भी फसल काश्त करने पर नष्ट कर देगे तथा कब्जा करने की धमकी दी इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत वाद के निसतारण तक रिसिवर नियुक्त करने का निवेदन किया। इस संदर्भ में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध धारा 107, 116(3) जा. फौजदारी के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के कथनों को अस्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने मान्नीय राजस्व मण्डल में अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की निगरानी/अपील विचाराधीन होना मानते हुए यथास्थिति आदेश पारित किया हुआ है इसलिए रिसिवर कायम करने का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत नहीं होना मानते हुए, अपने आदेश दिनांक 29.01.2014 के द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 29.01.2014 के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को तथ्यों के मध्य नजर रखे

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

बिना केवल इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि विवादित आराजी बाबत् अपीले/निगरानी विचाराधीन है, एवं पुनः बिना वाद के धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र अनुतोष योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी मसूदा, ने प्रार्थना पत्र को खारिज करने में अवैधानिकता बरती है चूंकि वाद बार–बार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तथा धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र पर यथास्थिति के आदेश होने के पश्चात् यदि स्थितियां परिवर्तित होती है तो न्यायालय विधि अनुसार उस प्रार्थना पत्र पर अनुतोष प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है, इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी मसूदा, ने गलत आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में रिसिवर नियुक्त किए जाने के घटक मौजूद थे तथा प्रार्थीगण विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर उसकी फसल को नष्ट करने पर आमादा है। इस संदर्भ में धारा 107/116 जा.फौजदारी का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उपरोक्त सभी स्थितियों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण खातेदार/काबिज काश्त होने के बावजूद अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को परेशान करने व कब्जा करने पर आमादा है। जिससे रिसिवर नियुक्त किया जाना आवश्यक था परन्तु उपखण्ड अधिकारी मसूदा, ने समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आदेश अंतर्गत अपील पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.1..2014 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 09 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 463 बाबत् यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश मान्नीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर ने पारित कर रखे है, इसलिए प्रार्थीगण को मॉजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण ने सही तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया है व प्रार्थीगण क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नही आये है एवं वह मौजूदा प्रकरण की आड़ में अप्रार्थीगण को उनके सुस्थापित वैध कब्जे से बेदखल कर अनुचित दखलंदाजी करने का आदेश प्राप्त कर लेना चाहते है, जो कि किसी भी प्रकार से सदभाविक नही है, इसलिए प्राथीगण/अपीलांट किसी भी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने के अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र आदेश 40 नियम 01 जाप्ता दीवानी व धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तात्विक अंगो की पालना नही करता है व आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में डी.एन. जे. (राजस्थान) 1999 पेज 356 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्धारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि खसरा नम्बर 463 बाबत् प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के द्वारा अलग–अलग बंटवारा व खातेदार घोषणा के दावे पेश कर रखे है जिनका अंतिम निस्तारण होना बाकी है एवं विवादित आराजी खसरा नम्बर 463 रकबा 3–10–00 बीघा बाबत् यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर ने पारित कर रखे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2014 विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिक
अजमेर

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा के आदेश दिनांक 29.01.2014 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर